

1
सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
की गई है

3

1

2

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।

पी०ए० वाद सं०- 03/2019-20

आवेदक- चन्दो मरांडी

वनाम

16 आना रैयत, मौजा- वरमसिया

आदेश

19.7.19
आवेदिका द्वारा दिनांक 09.04.19 को आवेदन दाखिल कर मौजा वरमसिया के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। दाखिल आवेदन पत्र की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, तालझारी को आवेदन पत्र की छाया प्रति भेजी गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्ति के पश्चात आवेदिका ने आवेदन समर्पित कर मौजा के पूर्व बहाल प्रधान निमाई मुर्मू का निधन दिनांक 02.11.2018 को होने पश्चात आवेदिका चन्दो मरांडी ने अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को आवेदन देकर प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किये है। आवेदिका चन्दो मरांडी, पूर्व प्रधान निमाई मुर्मू की पत्नी हैं तथा पूर्व प्रधान के मृत्यु के उपरांत कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य कर रही है। मौजा के 16 आना रैयतों को भी आवेदिका के प्रधान पद पर नियुक्ति से कोई आपत्ति नहीं है।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्रांक 340/रा०, दिनांक 24.05.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि आवेदिका चन्दो मरांडी, पति- स्व० निमाई मुर्मू, सा०- वरमसिया, पो०- बाकुडी, थाना- तीनपहाड़ से प्राप्त आवेदन पत्र एवं प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन कर मौजा वरमसिया के प्रधान निमाई मुर्मू के मृत्यु उपरांत आवेदिका चन्दो मरांडी को प्रधानी पद नियुक्ति हेतु 16 आना रैयतों के अनापत्ति के अभाव में अनुशंसा किये है, जो कि पूर्व प्रधान स्व० निमाई मुर्मू की पत्नी है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की अनापत्ति के अभाव में आवेदिका चन्दो मरांडी को पूर्व प्रधान स्व० निमाई मुर्मू के स्थान पर संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्ति किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल